

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 94/23-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

धुरा उरौव

1. अलोक बेक वो 2. अलेक्स बेक

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
गई कार  
बारे में  
तारीख

31.07.23

## आदेश

आवेदक धुरा उरौव पिता स्व० तेम्बा उरौव ग्राम-पदमपुर, पो०-लोघमा, थाना-कर्रा, जिला खूँटी ने 1. अलोक बेक वो 2. अलेक्स बेक दोनों के पिता सोहराई बेक ग्राम-जिपुटोली, पो०-लोघमा, थाना-कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
पदमपुर	168	23	66	0.85

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद 0733822288 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 553 दिनांक 17.07.2023 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम वीगु उरौव हैं। पंजी II के अनुसार फागु वो तेम्बा उरौव वगैरह के नाम भूमि का रकबा 3.00 एकड़ भूमि है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.00 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 8552.00 (आठ हजार पांच सौ बावन) रुपये है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.15 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे गकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण धुरा उरौव पिता स्व० तेम्बा उरौव को 1. अलोक बेक वो 2. अलेक्स बेक दोनों के पिता सोहराई बेक के साथ ग्राम पदमपुर खाता सं० 23 खेसरा संख्या 66 कुल रकबा 0.85 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 8552.00 (आठ हजार पांच सौ बावन) रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।